

कार्यालय कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग अधिसूचना  
क्रमांक 109/2016-17

जबलपुर दिनांक 9/8/17

धारा 19 की उपधारा 4 की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकवे का नीचे बिन्दु क्रमांक 02 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण
- (क) जिला-जबलपुर
- (ख) तहसील पाटन
- (ग) ग्राम -नीमी प.ह.नं. 26/59
- (घ) राजस्व निरीक्षक मंडल पाटन
- (ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल-0.56 हे. एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां:-

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकवा(हेक्टेयर)
01	216	0.05
02	217	0.06
03	218	0.03
04	219	0.01
05	223/4	0.04
06	247/1	0.06
07	247/2	0.03
08	247/3	0.05
09	248	0.22
10	250	0.01
कुल योग		0.56 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-बी.ओ.टी.(टोल-एन्यूटी) योजनान्तर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य (राजमार्ग क्रमांक 15) हेतु। (3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं बी.ओ.टी.(टोल-एन्यूटी) का कार्य प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.jabalpur.nic.in](http://www.jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देख सकता है। (5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(महेश चंद्र चौधरी)

कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव  
म.प्र.शासन राजस्व विभाग

भू-अर्जन अधिकारी

पाटन